कार्यालय कलेक्टर–लाइसेंस प्राधिकारी, मेरठ

संख्या 127 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2020–21/मेरठ : दिनांक : 28/05/2020

"विज्ञप्ति"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–मेरठ में प्रथम चरण की ई–लाटरी के पश्चात् अव्यवस्थित एवं निलम्बित देशी मदिरा की 02, विदेशी मदिरा 01, बीयर की 01 एवं भांग की 01 फुटकर दुकानों, जिनका विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ के सूचना पट्ट, जनपद की बेव–साईट meerut.nic.in अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के पास देखा जा सकता है। दुकानों का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर दिनांक 30.05.2020 से अधिकतम 14 दिवस के लिये या सम्बन्धित दुकान के नियमित व्यवस्थापन/निलम्बन समाप्त होने तक, जो पहले हो के लिए किया जायेगा। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की फुटकर बिक्री दुकानों की दैनिक एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस दुकान का 1/365 भाग के आधार पर ऑफर लिया जायेगा। दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर 14 दिवसों हेतु आगणित एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

आवेदक द्वारा आवेदन करते समय एक प्रार्थना पत्र, आफर के प्रारूप में देशी मदिरा हेतु दिये गये आफर में अंकित एम0जी0क्यू0 का रू0 33/– गुणा धनराशि एवं विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों हेतु दिये गये आफर में अंकित लाइसेंस फीस की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम देय होगा, संलग्न करेगा। आवेदनकर्ता प्रार्थना के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं एक नवीनतम फोटोग्राफ भी संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही आवेदक दुकान संचालन हेतु परिसर की व्यवस्था स्वयं करेगा। संचालित की जाने वाली दुकानों के कोविड–19 के कारण अथवा किसी आदेश कारण समय विशेष के लिए बन्द किए जाने की दशा में आफरकर्ता किसी छूट/प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। इच्छुक आवेदक दिनांक–29.05.2020 को सायं 05:00 बजे तक उपरोक्तानुसार अपने आफर सील बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को प्राप्त करा सकते है। प्राप्त आफरों को दिनांक 29.05.2020 को ही सायं 06:00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ में खोला जायेगा।

दुकानों का विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	दुकान का नाम	प्रकार	वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में)/लाइसेंस फीस (रू0 में)	14 दिन हेतु न्यूनतम बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस रू0 में
1	सिमौली	देशी शराब	78480	99363
2	लतीफपुर	देशी शराब	16680	21120
3	मोहिउद्दीनपुर	विदेशी मदिरा	1900000	72877
4	धीरखेडा	बियर	405000	15535
5	सरधना	भांग	1725000	66165
6	मवाना	माडलशाप	7020000	269261

28/5/2020
(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

(अमित ढींगरा)
कलेक्टर–लाइसेंस प्राधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:–

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञप्ति को जनपद की साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

28/5/2020
(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

Scanned with CamScanner